न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जालोर

पीठासीन अधिकारी : भूपेन्द्र कुमार यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 02/2018 अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

वादी

जयकिशन उर्फ किशनाराम पुत्र गोविन्दा उर्फ गोमदा

जाति विश्नोई निवासी सरनाऊ तहसील सांचौर।

प्रतिवादी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर।

<u>निर्णय</u> दिनांक 07.01.2021

वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा अन्तर्गत राज.भू. राजस्व अधिनियम 1956 इस प्रकार पेश किया कि मुझ वादी को किशनाराम व जयकिशन दोनों नाम से तथा मेरे पिता को गोविन्दा व गोमदा दोनो नाम से पुकारा जाता था। चूंकि मैं मेरे पिता के परिवार में मैं जब छोटा था तब परिवार वाले मुझे लाड प्यार में दोनो नामो से पुकारते थे।

मैं वादी बालिग हुआ तब मैनें वाके सरहद मौजा सरनाऊ में गुणेशा वल्द रावल जाति विश्नोई निवासी सरनाऊ से एक खेत पुराना खसरा नम्बर 143 रकबा 1 बीघा 8 बीस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 335 रकबा 0.09 हैक्टर व 257/1437 रकबा 0.12 हैक्टर जुमले रकबा 0.21 हैक्टर भूमि जरिये बैचान सन् 1972 में खरीद की, उस वक्त मैनें बैचान दस्तावेज में मेरा नाम जयकिशन वल्द गोविन्दराम लिखवाया था। जबकि मेरे अन्य सरकारी दस्तावेजों में मुझे दोनो नामो से पुकारने व जानने के कारण मेरा नाम किशनाराम लिखवाया तथा मेरे राशन कार्ड में भी मेरा नाम किशनाराम लिखवाया । इस प्रकार मेरे द्वारा खरीद की गई भूमि में मेरा नाम जयकिशन के नाम से खातेदारी दर्ज की गई। जबकि मेरी अन्य पैतृक सम्पति के खेत जो वाके सरहद सरनाऊ में खाता संख्या 324 में खेत खसरा संख्या 257/1438, 326 वगैरा के आये हुये है जिसमें मुझ वादी का नाम किशनाराम वल्द गोविन्दा दर्ज है।

मेरे दोनो राजस्व खातो में अलग अलग नाम नाम होने से मुझे हर सरकारी कार्यो में काफी परेशानी होती है। जबकि किशनाराम उर्फ जयकिशन पुत्र गोविन्दा उर्फ गोमदा जाति विश्नोई निवासी सरनाऊ नाम का अन्य कोई भी व्यक्ति हमारे ग्राम सरनाऊ में नहीं है। मुझे सरकारी कार्यो में दोनों नाम अलग अलग हो जाने से काफी परेशानी होने पर मैनें मेरे नाम की राजस्व खाते में शुद्वि करने हेतु आज से करीबन 15 रोज पहले मैं पटवारी हल्का सरनाऊ के पास गया तो पटवारी ने कहा कि तुम्हारे दोनों नामो की शुद्वि के लिये न्यायालय में जाकर तुम्हें कार्यवाही करनी पडेगी। जिस पर यह दावा हाजा पेश करने की नौबत पैदा हुई। मुखासमात दावे से है।

मुझ वादी द्वारा खरीदसुदा खेत खसरा संख्या 257/1437 [illegible] जुमले रकबा 0.21 हैक्टर की जमाबन्दी व मुझ वादी के नाम भरा गया नामान्तरकरण [illegible] 12 [illegible] मेरे अन्य पैतृक सम्पति के खातेदारी के खेतों की जमाबन्दी व मेरे अन्य सरकारी दस्तावेज [illegible] कार्ड, पहचान पत्र व राशन कार्ड की प्रति साथ पेश की गई है। जिससे साफ [illegible] वादी के दोनो खाते [illegible] अलग अलग नाम दर्ज है। जिससे सुधारा जाना न्याय[illegible] होने से यह [illegible] पेश किया जा रहा है। वाद पेश कर वादी की निम्न इस्तदुआ है :-

7.1.2021

सहायक कलक्टर

सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.01.14 17:06:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अ – वाके सरहद मौजा सरनाऊ के खेत खसरा संख्या 257/1437 रकबा 0.12 हैक्टर एवं 335 रकबा 0.09 हैक्टर जुमले रकबा 0.21 हैक्टर में मुझ वादी का नाम जयकिशन की बजाय किशनाराम वल्द गोविन्दा उर्फ गोमदा के नाम से खातेदारी दर्ज करने हेतु खातेदारी की डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी सादिर फरमाई जावे।

ब – वाके सरहद मौजा सरनाऊ के खेत खसरा संख्या 257/1437 रकबा 0.12 हैक्टर एवं 335 रकबा 0.09 हैक्टर जुमले रकबा 0.21 हैक्टर में राजस्व रेकर्ड में जयकिशन वल्द गोविन्दा के स्थान पर किशनाराम वल्द गोविन्दा उर्फ गोमदा के नाम की रेकर्ड दुरूस्ती करने हेतु प्रतिवादी को आदेशित फरमावे।

दावा दर्ज रजि. किया जाकर तलबी प्रतिवादी जरिये समन की गई। प्रतिवादी ने उपस्थित होकर जवाब इकबालिया इस प्रकार पेश किया कि गत खसरा नम्बर 143 हाल खसरा नम्बर 335 रकबा 0.09 व 257/1437 रकबा 0.12 हैक्टर कुल 0.21 हैक्टर में वादी द्वारा जरिये रजिस्ट्री खरीदा है। खरीदते समय वादी ने किशनाराम की जगह पर जयकिशन नाम लिखवाया। वादी के अन्य पैतृक खातों में किशनाराम दर्ज है यदि वादी का नाम जयकिशन की जगह किशनाराम किया जाता है तो राज पैरोकार को कोई आपत्ति नहीं है।

वादी द्वारा साक्ष्य में PW1 जयकिशन स्वयं, PW2 पीराराम पुत्र अर्जुन, PW3 सोनाराम पुत्र गोमदा पेश किये।

प्रस्तुत साक्ष्यों एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा आराजी खेत खसरा नम्बर 143 रकबा गणेश पुत्र रावल कौम विश्नोई निवासी सरनाऊ तहसील सांचौर से जरिये पंजीकृत विकयनाना दिनांक 15.07.1972 को कय किया था। पंजीकृत बेचाननामें में वादी का नाम जयकिशन पुत्र गोविन्दराम अंकित है। विकय पत्र के आधार पर खोला गया नामान्तरण जयकिशन पुत्र गोविन्दराम के नाम दर्ज किया गया।

प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नम्बर 143 से नये खसरा नम्बर 335 एवं 257/1437 सृजित हुये। हाल जमाबंदी EX2 में उक्त खसरे खातेदार जयकिशन पुत्र गोविन्दा के नाम दर्ज है। वादी के अनुसार उसके अन्य सभी दस्तावेजों यथा राशन कार्ड, पहचान पत्र व अन्य खसरों खाता संख्या 324 मौजा सरनाऊ में नाम किशनाराम पिसरान गोविन्दाराम दर्ज है। अतः नाम दुरूस्त कर जयकिशन की जगह किशनाराम दर्ज किया जावें।

प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सरनाऊ कमांक ग्रा.पं.सं./SPL-1 दिनांक 07.01.2018 के अनुसार किशनाराम व जयकिशन पुत्र गोविन्दाराम एक ही व्यक्ति हैं। किशनाराम को जयकिशन के नाम से भी पुकारते है।

प्रस्तुत साक्ष्यों, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सरनाऊ एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी को जयकिशन एवं किशनाराम दोनों नामों से पहचाना जाता है। जिस कारण पंजीयन कराते समय जयकिशन नाम दर्ज कराया। वादी के अनुसार वो बुजुर्ग एवं अशिक्षित है। तथा पंजीयन के समय आने वाली बाधाओं को नहीं समझता था इसी कारण दोनों नामों से दस्तावेज बनवाये।

अतः प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर वादी का वाद स्वीकार कर तहसीलदार सांचौर को आदेश दिये जाते है कि हाल जमावंदी खाता संख्या 86 खसरा नम्बर 257/1437 एवं 335 मौजा सरनाऊ में जयकिशन उर्फ किशनाराम पुत्र गोविन्दा दर्ज किया जावें।

7.1.2021

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलेक्टर
सांचौर
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

सहायक कलेक्टर-सांचौर

निर्णय आज दिनांक 07.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.01.14 17:06:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सांचौर

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure code, Appendix 'D' -1)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम सांचौर

बदजलास श्री भूपेन्द्र कुमार यादव [RAS]

किशनाराम उर्फ जमकिशन बनाम सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, सांचौर

दावा बाबत 88 रा.अ. व 136 R.L.R. Act.

मुकदमा नं. 02 सन् 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू पक्षकार

व हाजरी श्री भगवती प्रसाद बालोत मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार सांचौर मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर वादी का वाद स्वीकार कर तहसीलदार सांचौर को आदेश दिये जाते है कि हाल जमाबंदी खाता सं 86 ख.न. 257/1437 एव 335 मौजा सराऊ मे जमकिशन उर्फ किशनाराम पुत्र गोविन्दा दर्ज किया जावे

लीज मौजा सराऊ मुवलिक — बावत —

खर्चा इरा मुकदमें के मय सूद व शरह — फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक — को अदा करे।

आज ब तबा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07 माह 01 20 21 को जारी की गई।

(मुहर: सहायक कलेक्टर–सांचौर, जिला जालोर)

सहायक कलेक्टर

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दई	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प वकालातनामा		
स्टाम्प वकालातानामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील) पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् ईजराय हुकमनामा		
बावत् ईजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान...............			मीजान............		

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.01.14 17:06:31 IST
Reason: SelfAttested

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हरफरीकान का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलेक्टर
सांचौर

Scanned by CamScanner